न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 108/2024 (उदयपुर डिक्री)

1. नाथू पिता भीमा जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. देवा पिता भीमा जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. अमरा पिता मेगा जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. भीमराज पिता गोता जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. दल्ला पिता मेगा जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 03.09.2024 प्र.सं. 154/2019

———/———

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र चौधरी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री भीमराज डांगी अभिभाषक रे.सं. 1 स 3

———::———

निर्णय **दिनांक 05–02–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सोमाखेड़ा, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 965 से 968, 990, 991 कुल किता 6 रकबा 0.4900 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नानजी पिता टीला का 1/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:23 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा निहित है। नानजी का पुत्र मेघा हुआ व मेघा के 4 पुत्र अमरा, गोता, मन्ना व दल्ला हुए। अमरा वादी संख्या 1 है, गोता की मृत्यु हो चुकी है, जिसका पुत्र भीमराज वादी संख्या 2 है तथा दल्ला वादी संख्या 3 है एवं मन्नाराम लाऔलाद फोत हो गया। मन्नाराम के नजदीकी वारिस वादीगण हैं। इस प्रकार नानजी पिता मेघजी के नाम पर दर्ज भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा है, लेकिन वादीगण के नाम उक्त आराजियात विरासत से दर्ज नहीं हुई है, जबकि वादीगण 1/2 हिस्से की घोषणा कराने एवं विभाजन कराने के अधिकारी हैं। अतः वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने खण्डन का खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया कर प्रतिवाद प्रस्तुत किया तथा बताया कि वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है, प्रतिवादीगण एक मात्र मालिक काबिज हैं। गांव सोमाखेड़ा में नानजी नाम के दो व्यक्ति थे, वादीगण द्वारा नानजी का जो सजरा प्रस्तुत किया गया है, उससे वाद वर्णित भूमि में कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। मूल पुरूष मावा जी थे, जिनके दो पुत्र टीला व भीमा हुए। टीला का पुत्र नानजी लाऔलाद फोत हो गया तथा भीमा के पुत्र प्रतिवादी नाथू व देवा हैं, जो नानजी के लाऔलाद फोत होने से उसके वारिस हैं, किन्तु राजस्व रेकार्ड में नानजी पिता टीला का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा अंकित है। नानजी लाऔलाद फोत होने से उनके 1/2 हिस्से का प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण के प्रतिवाद का जवाब प्रस्तुत कर वादीगण ने अस्वीकार किया तथा प्रतिवादीगण के सजरे को गलत बताते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त सजरा प्रस्तुत किया तथा वादग्रस्त आराजियात से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं बताते हुए प्रतिवादीगण का प्रतिवाद खारिज करने का निवेदन किया।

प्लीडिंग्स के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 6 तनकियां कायम की गयी तथा दिनांक 03–09–2024 को तनकीवार विवेचन करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:23 IST
Reason: SelfAttested

जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील दिनांक 01—10—2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भीमराज डांगी उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चौधरी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 का निर्णय जमाबन्दी के आधार पर किया है, बयानों का कोई अवलोकन नहीं किया है। इसी प्रकार तनकी नंबर 2 व 3 का निर्णय करते समय भी गवाहों का विवेचन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय को दस्तोवजी साक्ष्यों के साथ—साथ प्रस्तुत गवाहों के बयानों का भी अवलोकन कर निर्णय पारित करना चाहिए था। तनकी नंबर 4 अपीलान्टगण द्वारा विधिवत साबित करायेजाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित करने में भूल की है। इसी प्रकार तनकी नंबर 5 का निर्णय करते समय भी बयानों को नहीं देखा गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर ही तनकीवार विवेचन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट का वाद स्वीकार कर अपीलान्टगण का प्रतिवाद को खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी नंबर 965 से 968, 990, 991 कुल किता 6 रकबा 0.4900 हैक्टर में नानजी पिता टीला 1/2 तथा नाथू, देवा पिता भीमा 1/2 हिस्सा अनुसार अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुए जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण के जिम्मे की तनकी नंबर 1 से 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित की है तथा प्रतिवादी के जिम्मे की तनकी नंबर 4 व 5 के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत न[illegible] क[illegible] से प्रतिवादीगण के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:23 IST
Reason: SelfAttested

निर्णित की हैं। हमारे समक्ष अपीलान्ट का मुख्य उजर यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गवाहों का विवेचन नहीं किया गया है, जो उचित प्रकट नहीं होता है, क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्यों के मुकाबले मौखिक साक्ष्य का कानूनन कोई महत्व नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए जो निर्णय पारित किया है, वह प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 03–09–2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 05–02–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:23 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम........उदयपुर.............
व इजलास ....कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस. ....

नाथू पिता भीमा डांगी, नि0 सोमाखेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य   बनाम   अमरा पिता मेगा डांगी, नि0 सोमाखेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....108/2024...व नाराजगी डिगरी अदालत.............उपखण्ड अधिकारी.......
...........गिर्वा......... मुकाम................मुवर्खे.............03...........माह........09.................2024

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.......05.....माह.......02.......सन् 2025 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी........श्री नरेन्द्र चौधरी........मिनजानिब अपीलान्ट व.........श्री भीमराज डांगी.........

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 03—09—2024 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......05........माह........02........2025 को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.......... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:23 IST
Reason: SelfAttested